राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

(दूरभाष नं. 0141–2227229, ईमेल आईडी : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 2(a) ग्रावि / ग्रुप–8 / GGJY / Engineering Service / 2019 जयपुर, दिनांक :– 01/03/19

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं की समीक्षा हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में निर्णय एवं विभाग स्तर से जारी निर्देश दिनांक 26.11.2018 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की समस्त योजनाओं का कार्य अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी) को ही आंवटित करने के निर्देश दिये गये थे।

विभागीय आदेश प.8(13)( ) ग्रावि/ अनुभाग–8 / एसपीएमआरएम / विविध / 2018 दिनांक 01.11.2018 के अनुसार भी आदेश प्रदान किये हुये हैं। इन निर्देशों के बावजूद जिला परिषद स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी / महात्मा गांधी नरेगा) के अतिरिक्त अन्य अभियंताओं को विभागीय योजनाओं का प्रभार आवंटित किया जा रहा है। जिला परिषद स्तर पर जारी ऐसे आदेशों को निरस्त कर निर्देशित किया जाता है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की समस्त योजनाओं का प्रभार केवल अधिशाषी अभियंता (अभियांत्रिकी / महात्मा गांधी नरेगा) को ही आंवटित करना सुनिश्चित करें। भविष्य में बिना सहमति के अन्य आदेश जारी नहीं करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रावि एवं पंरावि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. जिला कलेक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त (राजस्थान)।
6. अध्यक्ष, ग्रामीण एवं पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।

01/03/19
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

Mustaq: D:\Dixit ji\Letter VC.docx